

उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) निदेशक मण्डल की तृतीय बैठक दिनांक 07.09.2022 का कार्यवृत्त

पत्रांक : 841 / प्र-1 / 007 / नि०म०बै०-004 / 2022 / 37

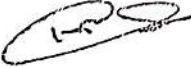
दिनांक : 07, 09.2022

उपस्थिति :-

1. श्री अनुराग श्रीवास्तव, अध्यक्ष, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
2. डा० बलकार सिंह, प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
3. श्री अखण्ड प्रताप सिंह, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक/संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
4. श्री प्रियरंजन कुमार (अधिकृत प्रतिनिधि), अपर मुख्य सचिव(वित्त), उ०प्र० शासन, लखनऊ ।
5. श्री प्रियरंजन कुमार, वित्त निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
6. श्री घनश्याम द्विवेदी, मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
7. श्री ऋषिकेश दूबे, विशेष सचिव (नियोजन विभाग), उ०प्र० शासन, लखनऊ ।
8. श्री राज कुमार, अपर निदेशक, पंचायतीराज, उ०प्र०, लखनऊ ।
9. श्रीमती अर्चना जैन, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) द्वारा निदेशक मण्डल के समस्त मा० सदस्यों का स्वागत किया गया । अपर मुख्य सचिव (वित्त), उ०प्र० शासन द्वारा श्री प्रियरंजन कुमार, वित्त नियंत्रक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को अपर मुख्य सचिव (वित्त) के प्रतिनिधि के रूप में निदेशक मण्डल की बैठक में भाग लेने हेतु अधिकृत किया गया । निदेशक मण्डल की बैठक का कोरम पूर्ण पाया गया एवं अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ की अनुमति से बैठक प्रारम्भ की गयी । बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श के उपरान्त निम्नवत निर्णय लिये गये :

क्र०सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
03.01	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) निदेशक मण्डल की द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	निदेशक मण्डल द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी । द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त की छायाप्रति मिनिट्स बुक में चरपा कर अध्यक्ष महोदय को अवलोकित कराते हुये हस्ताक्षर कराये गये ।
03.02	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) निदेशक मण्डल की द्वितीय बैठक के अनुपालन की स्थिति ।	निदेशक मण्डल द्वारा निदेशक मण्डल की प्रथम बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन को संज्ञान में लिया गया ।
03.03	उत्तर प्रदेश जल निगम अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली-1979 के विनियम-5, 6, 8, 14, 15, 16, 17 तथा 20 के संशोधन के सम्बन्ध में कार्योत्तर स्वीकृति के हेतु एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा उ०प्र० जल निगम अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली-1979 के विनियम-5, 6, 8, 14, 15, 16, 17 तथा 20 को संशोधित किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी ।
03.04	उत्तर प्रदेश जल निगम अभियन्ता (सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा) सेवा विनियमावली-1978 के विनियम-5, 15 एवं 16 के संशोधन के सम्बन्ध में कार्योत्तर स्वीकृति के हेतु एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा उ०प्र० जल निगम अभियन्ता (सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा) सेवा विनियमावली-1978 के विनियम-5, 15 एवं 16 को संशोधित किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी ।


अध्यक्ष (ग्रामीण)





क्र०सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
03.05	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के पेंशनर्स/ पारिवारिक पेंशनर्स को दिनांक 01.07.2021 से 196 प्रतिशत मेंहगाई राहत अनुमन्य किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को दिनांक 01.07.2021 से 196 प्रतिशत मेंहगाई राहत अनुमन्य किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी ।
03.06	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) में कार्यरत कार्मिकों को दिनांक 01.07.2021 से मूल वेतन का 196 प्रतिशत मेंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) में कार्यरत कार्मिकों को दिनांक 01.07.2021 से मूल वेतन का 196 प्रतिशत मेंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी ।
03.07	वित्त एवं लेखा सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन हेतु लेखाकार (संविदा) की नियुक्ति की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा लेखाकार (संविदा) की नियुक्ति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी ।
03.08	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में स्थानान्तरण सत्र 2022-23 की स्थानान्तरण नीति निर्धारित/प्रसारित किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत स्थानान्तरण सत्र 2022-23 की स्थानान्तरण नीति निर्धारित/प्रसारित किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी ।
03.09	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत तकनीकी स्तर के कार्मिकों के कार्यों के नियमित अनुश्रवण हेतु Performance Index तैयार किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत तकनीकी स्तर के कार्मिकों के कार्यों के नियमित अनुश्रवण हेतु Performance Index तैयार किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी ।
03.10	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत संविदा के आधार पर विधि परामर्शदाता/सलाहकार के पद पर नियुक्त श्री अशोक कुमार, अधिवक्ता द्वारा दी जा रही सेवाओं को समाप्त किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत संविदा पर विधि परामर्शदाता/सलाहकार के पद पर नियुक्त श्री अशोक कुमार, अधिवक्ता द्वारा दी जा रही सेवाओं को समाप्त किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी ।
03.11	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत विधि अनुभाग से सम्बन्धित कार्यों के निस्तारण हेतु संविदा के आधार पर विधि सलाहकार नियुक्त किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत संविदा के आधार पर विधि सलाहकार नियुक्त किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी ।
03.12	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत कम्प्यूटर से सम्बन्धित कार्यों के निस्तारण हेतु संविदा के आधार पर कम्प्यूटर तकनीशियन नियुक्त किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत संविदा के आधार पर कम्प्यूटर तकनीशियन नियुक्त किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी ।



(निदेशक जल निगम)
उत्तर प्रदेश




(3)

क्र०सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
03.13	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत संविदा के आधार पर विधि परामर्शदाता के पद पर श्री विनय कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता को नियुक्त किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत संविदा के आधार पर विधि परामर्शदाता नियुक्त किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी ।
03.14	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत कार्यवाहक व्यवस्था में लेखाधिकारी के पदीय दायित्वों के निर्वाहन हेतु कार्यभार दिये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा कार्यवाहक व्यवस्था के अंतर्गत लेखाधिकारी के पदीय दायित्वों के निर्वाहन हेतु कार्यभार दिये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी ।
03.15	प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) हेतु एक वाहन का क्रय किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) हेतु वाहन क्रय किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी ।
03.16	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम अभियन्ता (सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा) सेवा विनियमावली-1978 के विनियम-5, 15 एवं 16 में संशोधन को अंगीकृत किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम अभियन्ता (सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा) सेवा विनियमावली-1978 के विनियम 5, 15 एवं 16 में किये गये संशोधन को अंगीकृत किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी ।
03.17	उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 (यथासंशोधित) लागू किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 (यथासंशोधित) लागू किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी ।
03.18	जनपद मुजफ्फरनगर में नमामि गंगे के कार्य हेतु खण्ड कार्यालय सृजित/खोले जाने के संबंध में एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर नमामि गंगे हेतु एक खण्ड कार्यालय सृजित/खोले जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।
03.19	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) में कार्यरत कार्मिकों को दि० 01.01.2022 से मूल वेतन का 203 प्रतिशत मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में मा० निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा नोट ।	विभाग की वित्तीय स्थिति ठीक न होने, दो माह का वेतन/सेवानिवृत्त देयकों का भुगतान न किये जाने की दशा में वर्तमान में 203 प्रतिशत मंहगाई भत्ता अनुमन्य नहीं किया गया ।
03.20	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) में पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.01.2022 से 203 प्रतिशत मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में मा० निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा नोट ।	विभाग की वित्तीय स्थिति ठीक न होने, दो माह का वेतन/सेवानिवृत्त देयकों का भुगतान न किये जाने की दशा में वर्तमान में 203 प्रतिशत मंहगाई राहत अनुमन्य नहीं किया गया ।
03.21	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत डी०पी०आर० इत्यादि के गठन से सम्बन्धित PPRBD Cell की स्थापना हेतु एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा PPRBD Cell गठित किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।
03.22	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत विभागीय कार्यों के कुशल सम्पादन/निस्तारण हेतु मुख्यालय पर आई०टी० सेल का गठन किये जाने का एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा मुख्यालय पर आई०टी० सेल गठित किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।

क्र०सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
03.23	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम अभियन्ता (सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा) सेवा विनियमावली-1978 के विनियम-31 में हुये संशोधन को अंगीकृत करने के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा उ०प्र० जल निगम अभियन्ता(सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा) सेवा विनियमावली-1978 के विनियम-31 में हुये संशोधन को अंगीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।
03.24	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली-1979 के विनियम-31 में हुये संशोधन को अंगीकृत करने के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा उ०प्र० जल निगम अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली-1979 के विनियम-31 में हुये संशोधन को अंगीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।
03.25	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) को आवंटित राज्य स्तरीय प्रयोगशाला भवन को प्रशासनिक भवन में परिवर्तित करते हुये उसका नवीकरण कराये जाने के संबंध में एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को अन्तिम रूप से आवंटित राज्य स्तरीय प्रयोगशाला भवन को प्रशासनिक भवन में परिवर्तित करते हुये उसका नवीकरण कराये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।
03.26	श्री जनार्दन सिंह, अधिशासी अभियन्ता द्वारा वर्ष 2018-19 के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिवेदक /समीक्षक/स्वीकृता अधिकारी द्वारा अंकित प्रविष्टियों को उच्चीकृत करने हेतु प्रस्तुत प्रत्यावेदन निस्तारण किये जाने हेतु एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा श्री जनार्दन सिंह, अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन का संज्ञान लिया गया तथा वर्ष 2018-19 के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित प्रविष्टियों को उच्चीकृत करने हेतु प्रस्तुत किये गये तथ्यों को अनुपयुक्त/निराधार मानते हुये प्रविष्टियों को उच्चीकृत किये जाने के अनुरोध को अस्वीकार करते हुये प्रतिवेदक अधिकारी (द्वितीय), समीक्षक अधिकारी एवं स्वीकृता अधिकारी द्वारा दी गयी प्रविष्टियों को यथावत रखा गया ।
03.27	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, षष्ठम निर्माण खण्ड, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) वाराणसी में कैथी ग्राम समूह पेयजल योजना में कराये जा रहे निर्माण कार्यों में अनियमितता की जाँच में चिन्हित उत्तर प्रदेश जल निगम के सेवानिवृत्त लोककार्मिक के विरुद्ध नियम-351(ए) के अंतर्गत निगम निदेशक मण्डल से विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृत हेतु एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा कैथी ग्राम समूह पेयजल योजना में निर्माण कार्यों में पायी गयी अनियमितता की जाँच में चिन्हित उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) के सेवानिवृत्त लोककार्मिक के विरुद्ध नियम-351(ए) के अंतर्गत विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया । साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि अनियमितता की जाँच में चिन्हित उ०प्र० जल निगम (नगरीय) से सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण उ०प्र० जल निगम (नगरीय) को प्रेषित करें।



(निदेशक मण्डल, जल निगम)
वाराणसी (प्रशासनिक)





क्र०सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
03.28	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उत्तर प्रदेश जल निगम, बलिया में अनियमितता जाँच में चिन्हित उत्तर प्रदेश जल निगम के सेवानिवृत्त लोककार्मिक के विरुद्ध नियम-351(ए) के अंतर्गत निगम निदेशक मण्डल से विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृत हेतु एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा बलिया में अनियमितता की जाँच में चिन्हित उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के सेवानिवृत्त लोककार्मिक के विरुद्ध नियम-351(ए) के अंतर्गत विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।
03.29	जनपद- वाराणसी में शाही नाला के कार्यों में गम्भीर लापरवाही करने के संबंध में, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता (वा०क्षे०) के विरुद्ध नियम-351(ए) के अंतर्गत संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही पर निगम निदेशक मण्डल से कार्योंत्तर स्वीकृत हेतु एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा वाराणसी में शाही नाला के कार्यों में गम्भीर लापरवाही करने हेतु सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता (वा०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) के विरुद्ध नियम-351(ए) के अंतर्गत विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने की कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी ।
03.30	यूनिट-37, सी०एण्ड डी०एस०, उत्तर प्रदेश जल निगम, अमेठी में निर्माण कार्यों में अनियमितता, जाँच में चिन्हित उत्तर प्रदेश जल निगम के सेवानिवृत्त स्थानिक अभियन्ता श्री एस०सी० गुप्ता के विरुद्ध नियम-351(ए) के अंतर्गत निगम निदेशक मण्डल से विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृत हेतु एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा यूनिट-37, सी०एण्ड डी०एस०, अमेठी में निर्माण कार्यों में पायी गयी अनियमितता की जाँच में स्थानिक अभियन्ता श्री एस०सी० गुप्ता के विरुद्ध नियम-351(ए) के अंतर्गत विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।
03.31	यूनिट-51, सी०एण्ड डी०एस०, उत्तर प्रदेश जल निगम, अमेठी में निर्माण कार्यों में अनियमितता, जाँच में चिन्हित उत्तर प्रदेश जल निगम के सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता/तत्कालीन परियोजना प्रबन्धक श्री एस०पी० गुप्ता के विरुद्ध नियम-351(ए) के अंतर्गत निगम निदेशक मण्डल से विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृत हेतु एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा यूनिट-51, सी०एण्ड डी०एस०, अमेठी में निर्माण कार्यों में पायी गयी अनियमितता की जाँच में सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता/तत्कालीन परियोजना प्रबन्धक श्री एस०पी० गुप्ता के विरुद्ध नियम-351(ए) के अंतर्गत विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।
03.32	गढ़मुक्तेश्वर सीवरज योजनान्तर्गत बिछाई गयी ट्रंक सीवर लाइन के बैठने एवं अन्य कमियों की जाँच में चिन्हित उ०प्र० जल निगम के सेवानिवृत्त लोककार्मिकों के विरुद्ध नियम-351(ए) के अंतर्गत विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने एवं समस्त सम्बन्धित सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं फर्म/ठेकेदारों के विरुद्ध दण्डात्मक एवं आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही हेतु निगम निदेशक मण्डल की स्वीकृत हेतु एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा गढ़मुक्तेश्वर सीवरज योजना में पायी गयी कमियों की जाँच में चिन्हित सेवानिवृत्त लोककार्मिकों के विरुद्ध नियम-351(ए) के अंतर्गत विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने तथा सम्बन्धित सेवारत/सेवानिवृत्त/फर्म/ठेकेदारों के विरुद्ध दण्डात्मक एवं आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया । साथ ही यह भी निर्देश दिये गये हैं कि जो कार्मिक उ०प्र० जल निगम(नगरीय) में समाहित हुये हैं, उन पर उक्त कार्यवाही किये जाने से पूर्व प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम(नगरीय) से अनुमोदन प्राप्त कर लें । उ०प्र० जल निगम(नगरीय) में समाहित कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु प्रकरण उ०प्र० जल निगम (नगरीय) को प्रेषित करें ।

(कन्हैया बाबू गुप्ता)
जिला मजिस्ट्रेट

क्र०सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
03.33	मा० उच्च न्यायालय द्वारा सेवानिवृत्त कार्मिकों को सेवा नैवेत्रिक देयकों में ग्रेच्यूटी पर ब्याज की देयता के संबंध में निर्गत शासनादेश सं० सा-3-1901/दस-2022-971/80 दिनांक 30.10.2002 को उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) में लागू न किये जाने के संबंध में एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा ग्रेच्यूटी पर ब्याज की देयता के संबंध में निर्गत शासनादेश सं० सा-3-1901/दस-2022-971/80 दिनांक 30.10.2022 को लागू न किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।
03.34	अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से ।	
03.34.01	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत कम्प्यूटर साइंस/सूचना प्रौद्योगिकी(आई०टी०) के अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/ जूनियर इंजीनियर के पद सृजित किये जाने हेतु एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा सिविल संवर्ग के स्वीकृत पदों में से निर्धारित पदों को abeyance में रखते हुये उनके सापेक्ष कम्प्यूटर साइंस/सूचना प्रौद्योगिकी(आई०टी०) के अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर के पद सृजित किये जाने तथा नियमावली में तदनुसार संशोधन किये जाने की कार्यवाही किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।
03.34.02	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत वि०/यॉ० के मण्डल/खण्ड कार्यालय के नियंत्रक कार्यालय तथा उनके कार्यक्षेत्र को पुर्नगठित किये जाने के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा वि०/यॉ० के कार्यालयों के नियंत्रक कार्यालय तथा उनके कार्यक्षेत्र को पुर्नगठित किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।
03.34.03	लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग में मापन के कार्य हेतु लागू ई०एम०बी० प्रणाली को उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत लागू/क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा क्षेत्रों में मापन कार्य हेतु ई०एम०बी० प्रणाली लागू/क्रियान्वयन किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।
03.34.04	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा देश/प्रदेश के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा शासकीय/गैर शासकीय भवनों एवं अन्य निर्माण कार्यों को डिपाजिट आधार पर कराये जाने के लिये Specialised कन्सट्रक्शन एजेन्सी खोले जाने के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा जल निगम कन्सट्रक्शन एजेन्सी के नाम से उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत एक Specialised कन्सट्रक्शन एजेन्सी को स्थापित किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।


(कन्हैया बाबू गुप्ता)
सचिव(प्रशासन)


(प्रियरंजन कुमार)
वित्त निदेशक


(डा० बलकार सिंह)
प्रबन्ध निदेशक


(अनुराग श्रीवास्तव)
अध्यक्ष